<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर</u>

<u>विविध अपील (क्षतिपूर्ती) क्रमांक–172/2013</u>

01– अशोक यादव पिता–स्व० धन्नु लाल यादव, उम्र–45 वर्ष,

02– श्रीमती लता बाई यादव पति–अशोक यादव, उम्र–43 वर्ष,
दोनों निवासी– चुना भट्ठी, गुडियारी, नया ओवर ब्रिज, रायपुर (छ०ग०)

.... अपीलार्थीगण

// विरूद्ध //

01– शकूर मोहम्मद पिता–मोहम्मद वकील उम्र–36 वर्ष, निवासी–एकता नगर सेक्टर–11, जोन–2 खुर्सीपार भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

02– महामाया स्टील इंडस्ट्रीज, डिविसनल ऑफिस राजेश स्टील लिमिटेड, प्लाट नंबर बी–89, सेक्टर–सी, उरला, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)

03– नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा–डिविसनल ऑफिस मोबिन महान, द्वितीय तल जे०ई० रोड रायपुर (छ.ग.)

........................उत्तरवादीगण

{ अपीलार्थीगण द्वारा श्री राघवेन्द्र प्रधान अधिवक्ता }

{ उत्तरवादी क्र. 01 एवं 02 की ओर से कोई नहीं }

{ उत्तरवादी क्र. 03 द्वारा श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता}

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

माननीय श्री पी०आर० रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधिपति
एवं माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधिपति

बोर्ड का निर्णय, माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधिपति के अनुसार

26.08.2020

01/ यह अपील मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे आगे 'मो.या. अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा–173 के अंतर्गत दावाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर, छ.ग. (जिसे आगे 'दावा अधिकरण' कहा जाएगा) द्वारा दुर्घटना दावा प्रकरण क्र. 67/2009 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 16.07.2012 को चुनौती दी गई है जिसके अनुसार विद्वान दावा अधिकरण ने दावा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 1,09,000/– रुपये की प्रतिकर राशि अधिनिर्णीत किया था ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

02/ इस अपील के निराकरण के लिए सुसंगत तथ्य ये हैं कि 28.02.2009 को पवन यादव महामाया स्टील इंडस्ट्रीज, सारोरा में क्रेन हेल्पर के रूप में कार्यरत था और नियोजन के दौरान क्रावलर क्रेन क्रमांक CG–04/DB/2458 (जिसे आगे 'क्रेन' कहा जाएगा) जिसे अनावेदक क्र. 1 द्वारा चलाया जा रहा था, के पहियों के नीचे आ गया, और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

03/ मृतक पवन यादव के माता–पिता, जो कि दावाकर्ता हैं, ने मो.या. अधिनियम की धारा–166 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदकगण से 22,40,000/– रुपये की प्रतिकर की मांग किया था।

04/ अनावेदक क्र. 01 ने विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना उचित नहीं समझा और उसे एकपक्षीय घोषित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

05/ अनावेदक क्र. 02 ने दावा आवेदन का उत्तर प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किया कि दुर्घटना अनावेदक क्र. 01 के द्वारा क्रेन को लापरवाहीपूर्वक और तेज गति से चलाने के कारण नहीं हुई, बल्कि स्व. पवन यादव की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई। यह दुर्घटना महामाया स्टील इंडस्ट्रीज, सरोरा के परिसर में हुई, जो एक सार्वजनिक स्थान नहीं है, अतः दावा आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। अग्रेतर यह भी अभिवचनित किया गया कि स्व. पवन यादव महामाया स्टील इंडस्ट्रीज, सरोरा में क्रेन हेल्पर के रूप में कार्यरत था और वह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (जिसे आगे 'ईएसआई अधिनियम' कहा गया है) के अंतर्गत बीमित था और उसकी मृत्यु के बाद, उसके माता–पिता/दावाकर्ताओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से मासिक पेंशन प्राप्त

हो रहा है। दुर्घटना के दिन ही अनावेदक क्र. 02 ने ₹50,000/– की प्रतिकर राशि का भुगतान कर दिया था, इसलिए दावाकर्तागण अन्य किसी प्रतिकर राशि के अधिकारी नहीं हैं। यह भी अभिवचनित किया गया कि दुर्घटना के दिन क्रेन क्र. CG–04/DB/2458 अनावेदक क्र. 03 से बीमित था और अनावेदक क्र. 01 के पास वैध और प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञप्ति था, अतः यदि कोई प्रतिकर की राशि देय होती है, तो उसके संतुष्टि की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06/ अनावेदक क्र. 03/बीमा कंपनी ने दावा आवेदन का पृथक उत्तर प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचनित किया कि दुर्घटना के दिन क्रेन चालक के पास वैध और प्रभावी वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं था, क्रेन का वैध परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र भी नहीं था। उपरोक्त वर्णित तकनीकी अभिवचन के अलावा बीमा कंपनी ने दावा आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार कर दिया। यह भी अभिवचनित किया कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए बीमा कंपनी किसी भी प्रतिकर राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

07/ विद्वान दावा अधिकरण ने संबंधित पक्षकारों के अभिवचनों के

आधार पर विचार के लिए कुल छः विवाद्यकों की रचना किया, जिसमें दावा अधिकरण के क्षेत्राधिकार का विवाद्यक भी शामिल था और यह निष्कर्षित किया कि दुर्घटना अनावेदक क्र. 01 के द्वारा क्रेन क्रमांक CG-04/DB/2458 को उपेक्षा और उतावलेपन से चलाने के कारण हुई, जिससे पवन यादव की मृत्यु हो गई। बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को प्रमाणित नहीं पाया गया। क्या दावा अधिकरण के पास क्षेत्राधिकार नहीं था से संबंधित विवाद्यक पर निष्कर्ष 'नकारात्मक' दिया गया और कुल ₹1,09,000/- की प्रतिकर राशि अधिनिर्णीत की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08/ अपीलकर्ताओं/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेंद्र प्रधान ने तर्क किया कि माननीय दावा अधिकरण ने प्रतिकर की बहुत कम राशि प्रदान किया है। मृतक की आय का आकलन कम किया गया है, भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया, गलत गुणक 10 लागू किया गया जबकि 15 होना चाहिए था, अन्य परंपरागत मदों के अंतर्गत भी बहुत कम राशि दी गई, और इसलिए प्रतिकर की राशि में उचित बढ़ोत्तरी करने की प्रार्थना की गई । उन्होंने निवेदन किया कि दावा अधिकरण ने पेंशन की राशि को घटाकर त्रुटि किया है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **विमल कंवर व अन्य बनाम किशोर दान व अन्य** (2013) 7

SCC 476 निर्णय के विपरीत है।

09/ दूसरी ओर अनावेदक क्र. 03 (बीमा कंपनी) के विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथ गुप्ता ने निर्णय का समर्थन कर निवेदन किया कि विद्वान दावा अधिकरण ने इएसआई अधिनियम के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से अभिभावकों को पेंशन के रूप में प्राप्त राशि ₹1,20,000/– को घटाकर कोई त्रुटि नहीं किया है। दावेदार एक ही दुर्घटना के लिए दो बार लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10/ हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

11/ अधिनिर्णय के अवलोकन से दर्शित है कि, विद्वान दावा अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय दिनांक 02.02.2010 की प्रथम कंडिका में यह विचार करते हुए कि इएसआई अधिनियम की धारा–53 के अंतर्गत वर्जित होने से पोषणीय नहीं है, प्रारंभ में दावा आवेदन खारिज कर दिया था। अधिनिर्णय दिनांक 02.02.2010 को एमएसी नंबर 806/2010 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने

अपील स्वीकार करते हुए अतिरिक्त विवाद्यक की रचना कर नये सिरे से निर्णय करने के लिए दावा अधिकरण को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। विद्वान दावा अधिकरण ने अतिरिक्त विवाद्यक की रचना किया जो निम्नानुसार पठित है:–

	अतिरिक्त वादप्रश्न	
06.	क्या, इस प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता इस अधिकरण को नहीं है ?	प्रमाणित नहीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12/ अतिरिक्त विवाद्यक क्र. 06 पर विचार करने के लिए, जो मो.या. अधिनियम की धारा–166 के अंतर्गत दावा अधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, हमने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन के अभिवचनों का अवलोकन किया। दावा आवेदन में, उन्होंने यह अभिवचनित किया है कि 28.02.2009 को महामाया स्टील इंडस्ट्रीज, सरोरा, थाना उरला, रायपुर में अनावेदक क्र. 01– क्रेन के चालक ने अपने वाहन को लापरवाहीपूर्वक और तेज गति से चलाकर पवन यादव को दुर्घटना कारित किया, जो कि क्रेन के पहियों के नीचे आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। दावा आवेदन के उत्तर में, अनावेदक क्र. 02 अर्थात क्रेन का स्वामी महामाया स्टील इंडस्ट्रीज, सरोरा

ने यह विशेष प्रतिरक्षा लिया कि दुर्घटना महामाया स्टील इंडस्ट्रीज, सरोरा के परिसर में हुई, जो कि एक निजी स्थान है और न कि एक सार्वजनिक स्थान, और ऐसा होने से दावा अधिकरण के पास इस दावा आवेदन पर सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अग्रेतर यह भी अभिवचनित किया गया कि दावाकर्तागण इएसआई अधिनियम के अंतर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि मृतक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में बीमा संख्या 59/165180 से बीमित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13/ 'सार्वजनिक स्थान' मो.या. अधिनियम, 1988 की धारा 2(34) में परिभाषित है, जो त्वरित संदर्भ हेतु नीचे उद्धरित है:

> **2. परिभाषाएं** – इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो; –
>
> (34) "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य एक सड़क, गली मार्ग या अन्य स्थान, चाहे वह मुख्य मार्ग हो या न हो, जिस तक जनता को प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो, और इसमें वह स्थान या स्टैंड भी शामिल है जिस पर स्टेज कैरिज द्वारा यात्रियों को उतारा या चढ़ाया जाता है।

14/ **'सार्वजनिक स्थान'** की परिभाषा के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जहाँ जनता को प्रवेश का अधिकार है, और इसमें कोई स्थान या स्टैंड शामिल है जिस पर स्टेज कैरिज द्वारा यात्रियों को चढ़ाया या उतारा जाता है । हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना फैक्ट्री परिसर के भीतर हुई थी, अत: इसे सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता है।

15/ यह भी विवाद में नहीं है कि मृतक ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित था और दावेदारों के पुत्र की मृत्यु के बाद, वे उनकी पात्रता के अनुसार ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ईएसआई अधिनियम की धारा–53 किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रतिकर या नुकसानी प्राप्त करने या वसूलने पर वर्जन करती है। त्वरित संदर्भ के लिए ईएसआई अधिनियम की धारा 53 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "[53. **किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्रतिकर या नुकसानी प्राप्त करने या वसूलने के विरुद्ध वर्जन**—एक बीमित व्यक्ति या उसके आश्रित, बीमित व्यक्ति के नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति से, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (8 of 1923) या समय–समय पर प्रचलित किसी अन्य विधि के अंतर्गत या अन्यथा, बीमित व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> अंतर्गत एक कर्मचारी के रूप में प्राप्त की गई किसी भी नियोजन चोट के संबंध में, कोई प्रतिकर या नुकसानी प्राप्त करने या वसूलने के अधिकारी नहीं होंगे।]”

16/ इएसआई अधिनियम की धारा–53 में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और अस्पष्टता रहित है, जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई बीमित व्यक्ति या उसके आश्रित, नियोक्ता से या किसी अन्य व्यक्ति से, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (आगे '1923 का अधिनियम') या किसी अन्य वर्तमान प्रचलित विधि या अन्यथा के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति या नुकसानी प्राप्त करने या वसूलने के अधिकारी नहीं होंगे। इएसआई अधिनियम की धारा–53 का प्रावधान अत्यंत व्यापक है और इसमें "किसी अन्य वर्तमान प्रचलित विधि" का उल्लेख है, जो हमारे सुविचारित मत में मो.या.अधिनियम को भी सम्मिलित करता है। इएसआई अधिनियम की धारा–53 में प्रयुक्त भाषा सीधी और अस्पष्टता रहित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17/ विद्वान दावा अधिकरण ने आक्षेपित अधिनिर्णय पारित करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हमीदा खातून और अन्य (2009) 13 एस सी सी 361** प्रकरण में

पारित निर्णय को ध्यान में रखा है और अग्रेतर इस न्यायालय द्वारा **अशोक यादव और अन्य बनाम शकूर मोहम्मद और अन्य 2012 (2) सी.जी.एल.जे. 413 (डी बी)** में दिए गए निर्णय को भी संज्ञान में लिया है। **हमीदा खातून** (उक्त) के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई उस अपील पर विचार कर रहा था, जो विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने के लिए की गई थी, जिसमें ईएसआई अधिनियम की धारा–53 के प्रावधानों को अनदेखा किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें बीमा कंपनी की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि बीमा कंपनी के द्वारा ऐसा अभिवचन अपने लिखित कथन में विशेष रूप से नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में अपने पहले के निर्णयों, **ए. त्रेहन बनाम एसोशिएट इलेक्ट्रीकल एजेंसीज और अन्य (1996) 4 एस सी सी 255 तथा रिजनल डायरेक्टर इ.एस.आई. कार्पोरेशन और अन्य बनाम फ्रांसिस डी कोस्टा और एक अन्य 1993 सप्ली.(4) एस सी सी 100** पर विचार करते हुए, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेखित किया कि ईएसआई अधिनियम की धारा–53 को ध्यान में रखते

हुए पात्रता का निर्धारण किया जाए।

19/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ए. त्रेहन** (उक्त) प्रकरण में ईएसआई अधिनियम की धारा–53 के अंतर्गत उत्पन्न वर्जन पर विचार करते हुए निम्नलिखित निष्कर्षित किया था:–

> **"12.** इस संदर्भ और पृष्ठभूमि में हमें ईएसआई अधिनियम की धारा–53 द्वारा लगाए गए वर्जन के प्रभाव पर विचार करना होगा। यह वर्जन एक नियोजन चोट के संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम या किसी अन्य प्रचलित विधि के अंतर्गत या किसी अन्य तरीके से किसी भी प्रकार का प्रतिकर या नुकसानी प्राप्त करने या वसूलने से निषेधित करता है। यह निषेध पूर्ण है, जैसा कि 'चाहे बीमित व्यक्ति के नियोक्ता से या किसी अन्य व्यक्ति से', "कोई प्रतिकर या नुकसानी"' और "कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (8 का 1923) या किसी अन्य प्रचलित विधि या अन्यथा'' प्राप्त करने या वसूलने के अधिकारी नहीं होंगे, शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट देखा जा सकता है –"विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त" शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं। जब सुस्पष्ट और स्पष्ट शर्तों से ऐसा निषेध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लगाया गया है, तो पूर्व विधायी इतिहास का संदर्भ देकर किसी भिन्न आशय की व्याख्या करना न तो अनुज्ञेय होगा और न ही उचित। ऐसा करना इस निषेध को निष्प्रभावी बनाने और उसके उद्देश्य को विफल करने के समान होगा। धारा की स्पष्ट भाषा को देखते हुए, हम पाते हैं कि यह विवेचन या व्याख्या करने का कोई औचित्य नहीं है कि कर्मकार जो एक बीमित व्यक्ति है और इएसआई अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी, को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर मांगने के अधिकार से वंचित नहीं कर रहा है। हमारा मत है कि उच्च न्यायालय निर्णय देने में सही था कि धारा–53 द्वारा लगाए गए निषेध के कारण अपीलकर्ता द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर हेतु प्रस्तुत किया गया दावा पोषणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. फ्रांसिस डी कोस्टा (उक्त) मामले में के. रामास्वामी, न्या. द्वारा किए गए संप्रेक्षण एक अलग संदर्भ में किए गए थे। उस प्रकरण में विचार हेतु यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या किसी कर्मचारी को ड्यूटी जॉइन करने के लिए सार्वजनिक सड़क पर यात्रा करते समय हुई दुर्घटना से कारित चोट को

ईएसआई अधिनियम की धारा 2(8) में तात्पर्यित उसकी नियोजन के दौरान या नियोजन से संबंधित माना जा सकता है। इसके अलावा, उस प्रकरण में न्यायालय ईएसआई अधिनियम की धारा–53 द्वारा लगाए गए निषेध की समीक्षा नहीं कर रहा था।

15. मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलम्मा बनाम एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड (ए आई आर 1982 मद्द 223) में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने के. एस. वसंथा बनाम कर्नाटक एसआरटीसी (1982) 60 एफ जे आर 118 (कांट) और अन्नापुरा बनाम जी. एम. कर्नाटक एसआरटीसी (1984 लैब आई सी 1355) में नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना के कारण आई चोटों के लिए मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर के दावा के संबंध में ईएसआई अधिनियम की धारा–53 द्वारा लगाए गए निषेध के प्रभाव पर विचार किया है। हमारे मत में, इन उच्च न्यायालयों द्वारा धारा–53 के उद्देश्य और लगाए गए निषेध की प्रकृति और प्रभाव को लेकर जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, वह सही प्रतीत होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20/ हाल ही में, **ध्रोपदाबाई और अन्य बनाम टेक्नोक्राफ्ट टूलिंग्स, (2015) 14 एस सी सी 454** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णित किया था:

"11. उपरोक्त निर्णय अत्यंत स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि 1948 अधिनियम की धारा–2(14) के अंतर्गत एक बार जब कोई कर्मचारी "बीमित व्यक्ति" है, तो न तो वह स्वयं और न ही उसके आश्रित नियोक्ता से 1923 अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रतिकर या नुकसानी प्राप्त करने के हकदार होंगे। हम ऐसा मानने के लिए बाध्य हैं क्योंकि अधिनियम में प्रयुक्त स्पष्ट भाषा यही इंगित करती है, इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21/ ऊपर वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया जाए तो, दुर्घटना अनावेदक क्र. 02 के कारखाना परिसर में हुई, जो मो. या. अधिनियम की धारा–2(34) में परिभाषित 'सार्वजनिक स्थान' की परिभाषा में नहीं आता है। मृतक ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित था, और मृतक के माता–पिता कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर से मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। अतः मोटर यान अधिनियम की धारा–166

के अंतर्गत प्रस्तुत दावा आवेदन, ईएसआई अधिनियम की धारा–53 द्वारा उत्पन्न विशिष्ट वर्जन के कारण, पोषणीय नहीं है।

22/ चूंकि मो.या.अधिनियम की धारा–166 के अंतर्गत प्रस्तुत दावा आवेदन स्वयं ही पोषणीय नहीं है, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष दावेदारों के द्वारा मो.या.अधिनियम की धारा–173 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील भी पोषणीय नहीं है और यह खारिजी योग्य है और एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23/ विवादित अवार्ड में, विद्वान दावा अधिकरण ने ₹1,09,000/– की राशि प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत किया था, जिसे बीमा कंपनी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, इसके बजाय, इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की राशि जमा कर दी गई थी और अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह निवेदित किया कि इसे निकाल भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में, आक्षेपित अधिनिर्णय के अनुपालन में बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई और अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा निकाली गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी।

सही/–
(पी०आर० रामचंद्र मेनन)
मुख्य न्यायाधिपति

सही/–
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधिपति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur